नगर विकास न्यास, कोटा
URBAN IMPROVEMENT TRUST, KOTA

Bhawani Singh Palawat
Secretary
0744-2500951
0744-2500879
FAX 0744-2500828
Website: www.uitkota.org

भवानी सिंह पालावत
सचिव
0744-2500951
0744-2500879
फेक्स 0744-2500828
E-Mail: kotauit@yahoo.com

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

This is with relation to our project"Residential Scheme for Group Housing & Flat on Kh.no- 2(Part), 2/1(Part),3,4,5,6,12,13,14,15,16,23,23/1,24 Village- Hanuwath Khera, 88/296,90,91(Part), 91/1(Part), Village-Nayanohara Tehsil-Ladpura, Kota (Raj) to be developed on Kh.no- 2(Part), 2/1(Part),3,4,5,6,12, 13,14,15,16,23, 23/1,24 Village- Hanuwath Khera, 88/296,90,91(Part), 91/1(Part), Village-Nayanohara, Tehsil-Ladpura, Kota (Raj)that NOC for the following:

i) Fire NOC- Not Applicable
ii) Airport Authority NOC- Not Applicable
iii) Environmental Clearance NOC- Not Applicable
iv) Water Supply Permission- Not Applicable.

Date: 25/06/2019
Place:Kota

For Urban Improvement Trust, Kota

Secretary

नगर वि... न्यास, कोटा

249268

10 MAY 2019

SPECIAL ADHESIVE

Affidavit cum Declaration of Secretary, UIT Kota promoter of the proposed project / duly authorized by the promoter of the proposed project vide its authorization

I, Secretary, UIT, Kota having office at UIT, Kota CAD Circle-Kota (Rajasthan) promoter of the proposed project / duly authorized by the promoter of the proposed project do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. That our project"Residential Scheme for Group Housing & Flat on Kh.no- 2(Part), 2/1(Part),3,4,5,6,12,13,14,15,16,23,23/1,24 Village- Hanuwath Khera, 88/296, 90,91(Part), 91/1(Part), Village-Nayanohara Tehsil-Ladpura, Kota (Raj)to be developed on Kh.no- 2(Part), 2/1(Part),3,4,5,6,12,13,14,15,16,23,23/1,24 Village-Hanuwath Khera, 88/296,90,91(Part), 91/1(Part), Village-Nayanohara, Tehsil-Ladpura, Kota (Raj)is new project.

2. That we have not accepted any booking till date and advance payment from allottees towards the booking of plot till date of signing this declaration and even will not take till the time we get our RERA Registration Number.

3. That if any contradiction arises in future the deponent will be responsible for it.

Deponent

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

ATTESTED

28-5-019

Verification

I, Secretary, UIT, Kota having office at UIT, Kota CAD Circle-Kota (Rajasthan) do hereby verify that the content in para No.1 to 3 of my above affidavit cum declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom .

Verified by me at Kota on this 25/06/2019.

Date: 25/06/2019

Deponent

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

Place:Kota

ATTESTED

Virendra Kumar Saxena

NOTARY, (Central)

KOTA (Raj.)

28 2019

249270

10 MAR 2019

SPECIAL ADHESIVE

AFFIDAVIT

I, Secretary, Urban Improvement Trust Kota (the promoter), duly authorized by the promoter of the proposed project, on behalf of promoter, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. That the promoter has opened a separate bank account for the project of UIT KOTA "RESIDENTIAL SCHEME FOR GROUP HOUSING & FLAT" ON KHASRA NO. 2(PART) 2/1, (PART) 3 TO 6, 12 TO 16,23, 23/1, 24 VILLAGE HANUWATH KHERA 88/296, 90, 91(PART) 91/1(PART), VILLAGE NAYANOHARA TEHSIL LADPURA, KOTA (RAJ) " in compliance with and as part of the provision of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and rules made thereunder, the details of which are mentioned hereunder:

2.

S.No.	Particulars	Details
1	Name of Bank	BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK
2	Bank Address	KOTA
3	Bank Account Number	45810100212426
4	IFSC Code	BARB0BRGBXX

3. Further, I declare on behalf of the promoter, that any amount withdrawn from the designated aforesaid bank account shall be used only for our aforesaid project of UIT KOTA "RESIDENTIAL SCHEME FOR GROUP HOUSING & FLAT" ON KHASRA NO.

ATTESTED
Virendra Kumar Saxena
NOTARY, (Central)
KOTA (Raj.)

2 8 2019

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

2(PART) 2/1, (PART) 3 TO 6, 12 TO 16,23, 23/1, 24 VILLAGE HANUWATH KHERA 88/296, 90, 91(PART) 91/1(PART), VILLAGE NAYANOHARA TEHSIL LADPURA, KOTA (RAJ) ".

4. Further, I declare on behalf of the promoter, that bank account shall not be shared for any other Real Estate Project or for any other purpose.

Deponent

सचिव
नगर विकास न्यास

VERIFICATION

I, aforementioned deponent, do hereby verify that the contents in para No. 1 to 4 of above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom.

Date: 2-8-2019

Place:

Deponent

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

ATTESTED
Virendra Kumar Saxena
NOTARY, (Central)
KOTA (Raj.)
2-8-2019

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / संख्या. 274 / 2012 / जिला कोटा

गिरधर गोपाल झांब पुत्र श्री टोलाराम निवासी मोहन निवास कॉलोनी, नयापुरा कोटा।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान राजस्व अपील प्राधेकारी, कोटा दिनांक 02 / 11 / 2011 जो कि अपील संख्या 80 / 2010 में पारित किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

संशोधित शीर्षक (टाइटल)

COMPARED BY

नगर विकास न्यास कोटा
83582
10/9/18

सेवा में,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,

जिला कोटा (राज.)

विषय : खसरा नं. 3, 4, 5 व 6 की रकबा 1.80 हैक्टर ग्राम हनुमंत खेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना कराये जाने के क्रम में।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी ने खसरा नं. 3, 4, 5 व 6 की रकबा 1.80 हैक्टर ग्राम हनुमंत खेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे राज्य सरकार के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हुई जिसमें दिनांक 28.06.2012 को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर प्रार्थी को बेदखल नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने आदेश पारित किये हुये है। उक्त आराजी के संबंध में प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान ही विवादित आराजी को श्रीमान द्वारा सेटअपार्ट कर नगर विकास न्यास, कोटा को हस्तानन्तरित कर दिया गया है। नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा उक्त आराजी की मौके की स्थिति परिवर्तित की जा रही है जो माननीय राजसव मण्डल द्वारा पारित आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी के संबंध में पारित आदेश की संबंधित द्वारा पालना सुनिश्चित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी

गिरधर गोपाल आत्मज स्व. श्री टालाराम जी निवासी मोहन कुटीर कॉलोनी, नयापुरा, कोटा

कोटा

दिनांक 10-9-2018

संलग्न :- स्थगन आदेश की फोटोप्रति।

प्रतिलिपि :- सचिव नगर विकास न्यास, कोटा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

नगर विकास न्यास कोटा
क्रमांक 83582
दिनांक 10/9/18

88431
16-1-2019

सेवा मे,

श्रीमान सचिव महोदय,

नगर विकास न्यास,कोटा राज0

विषय :- खसरा नंबर 3,4,5,6 रकबा 1.80 हैक्टर ग्राम हनुमंतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के संबन्ध मे राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश होने के बावजूद निर्माण कार्य करने पर आमादा होने के संबन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 3,4,5,6 रकबा 1.80 हैक्टर ग्राम हनुमंतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है जिसके संबन्ध मे प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे राज्य सरकार के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमे यू. आई.टी.भी पक्षकार है जिसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28-06-2012 को आदेश जारी कर प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किए हुए है उक्त आदेश आज तक प्रभावी है।

यह कि नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त भूमि पर अवैद्य रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है । प्रार्थी द्वारा पूर्व मे भी इस संबन्ध मे नगर विकास न्यास के अधिकारी एवं कर्मचारियो को क्रमांक 83582 दिनांक 10-09-2018 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके साथ आदेश की प्रति भी दी गयी इसके बावजूद भी यूआईटी उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करवा रही है।

यह कि नगर विकास न्यास द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद उक्त भूमि पर निर्माण कार्य

करवाया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नगर विकास न्यस कोटा उक्त आदेश दिनांक 28-06-2012 की पालना मे उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे,ना ही अपने प्रतिनिधी,कर्मचारियो आदि से करवाये। अन्यथा संबन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियो के विरुद्व माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही करने को प्रार्थी विवश होगा।

प्रार्थी

Girdhar

गिरधर गोपाल पुत्र स्व0 श्री टालारामजी
निवासी मोहन कुटी कॉलोनी,अग्रसे चौराहे
के पास,नयापुरा,कोटा राज0

कोटा

दिनांक :

संलग्न :- 1. स्थगन आदेश की फोटो प्रति ।
2. पूर्व प्रार्थना पत्र की प्रति ।
3. वर्तमान जमाबन्दी की प्रति।

Shot on OnePlus
Powered by Dual Camera

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 274/12	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपस्थित

श्री आर. के. जायसवाल, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य
वकील प्रार्थी
उपस्थित
दिनांक [illegible]

सदस्य
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

श्री [illegible]
श्री मोहनलाल [illegible] सदस्य

31/10/12

वकील अपीलांट श्री प्रशान्त तौनी उप०
राजकीय अभिभाषक श्री बी.पी. सिंह राजकान्त उप०
उत्तरार्थी बहस प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं
आदेश 41 नियम 20 धारा 151 दिनांक 8/10/12
सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाकर
वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.पत्र न्यायहित में
स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
नगर सुधार न्यास कोटा को विपक्षी सं०
2 बनाया जाता है व नगर सुधार न्यास
का नाम अपील मीमो में बतौर विपक्षी सं०
2 पर लाल स्याही से इन्द्राज किया जावे।
वकील अपीलांट नगर सुधार न्यास कोटा को
नोटिस पेश करें पेश होने पर जारी हो। पत्रावली
आगामी नियत दिनांक 1/11/12 को पेश हो।
पूर्व का स्टे पेशी तक बढ़ाया जाता है उत्तरार्थी को।

सदस्य
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

सदस्य
राजस्व अपील अधिकारी

COMPD

31/10/18

ग्राम का नाम :- हनुवतखेड़ा
तहसील :- लाडपुरा
सम्वत :- 2071 - 2074
इकाई :- हैक्टेयर

पटवार हल्का नयानोहरा
जिला :- कोटा
वास्तविक सम्वत :- 2071

भू.अभि.नि.क्षेत्र रायपुरा
दिनांक :- 15/01/2019

खेवट (खाता) नम्बर	खाता	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
70		राज.	नगर विकास न्यास कोटा नामा.नं.	1	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
	56	सरकार	147,151,173, 215,234	2/1	5.1600	बंजड़	5.1600		2	10.32			
	85		नोट : 6-नि.दि.: 07/04/2016 तहसील आदेश	2	0.4800	चरागाह	0.4800						
			क्र./16/3114/ 17.3.2016 की पालना	3	0.0700	बंजड़	0.0700		2	0.14			
			में अधिसूचना क्र. 1399(A) 21.12.04	4	0.0100	बंजड़	0.0100		2	0.02			
			द्वारा ख.न. 44 रकबा 0.0360, 45 रकबा	5	1.6900	बंजड़	1.6900		2	3.38			
			0.0290 हैं.पाईप लाईन हेतु भूमि के उपयोग	6	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			
			का अधिकार गैल. इण्डिया लि.में निहित	7	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			
			नोट : 16-नि.दि.: 15/11/2018 तहसील आदेश	9	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			
			दि. 15.11.18 एवं न्यायालय राजस्व	12	0.0800	बंजड़	0.0800		2	0.16			
			मण्डल राज.अजमेर के आदेश दि. 31.10.18	13	0.0100	बंजड़	0.0100		2	0.02			
			से ख.न. 3,4,5,6 पर यथास्थिति	14	0.0200	बंजड़	0.0200		2	0.04			
			बनाये रखने के आदेश हुऐ।	15	0.3100	बंजड़	0.3100		2	0.62			
			(नामा.यूनिक स.: 2601-14960)	16	0.0900	बंजड़	0.0900		2	0.18			
				23	0.3900	चरागाह	0.3900						
				23/1	0.6000	बंजड़	0.6000		2	1.20			
				24	0.0900	बंजड़	0.0900		2	0.18			
				27	0.0800	बंजड़	0.0800		2	0.16			
				28	0.1000	बंजड़	0.1000		2	0.20			
				28/1	0.6900	चरागाह	0.6900						
				29	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
				31	0.0300	चरागाह	0.0300						
				32	0.0300	चरागाह	0.0300						
				33	0.1000	बंजड़	0.1000		2	0.20			
				34	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
				35	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
				36	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			

दो रुपये TWO RUPEES भारत INDIA राजस्थान FOR COPYING FEES ONLY

88

Shot on OnePlus
Powered by Dual Camera

नाम :-	हनुवतखेड़ा	पटवार हल्का	नयानोहरा	भू.अभि.नि.क्षेत्र	रायपुरा	पृष्ठ संख्या 1 of 6
तहसील :-	लाडपुरा	जिला :-	कोटा	दिनांक :-	15/01/2019	
सम्वत :-	2071 - 2074	वास्तविक सम्वत :-	2071			
क्षेत्रफल :-	हैक्टेयर					

खेवट(खतौनी) नया	खेवट(खतौनी) पुराना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
70		राज.	नगर विकास न्यास कोटा नामा.नं.	1	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
	1	सरकार	147,151,173, 215,234	2/1	5.1600	बंजड़	5.1600		2	10.32			
	58		नोट : 6-नि.दि.: 07/04/2016 तहसील आदेश	2	0.4800	चरागाह	0.4800						
	85		क्र./16/3114/ 17.3.2016 की पालना	3	0.0700	बंजड़	0.0700		2	0.14			
			मे अधिसूचना क्र. 1399(A) 21.12.04	4	0.0100	बंजड़	0.0100		2	0.02			
			द्वारा ख.न. 44 रकबा 0.0360, 45 रकबा	5	1.6900	बंजड़	1.6900		2	3.38			
			0.0290 है.पाईप लाईन हेतु भूमि के उपयोग	6	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			
			का अधिकार गैल इण्डिया लि.मे निहित	7	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			
			नोट : 16-नि.दि.: 15/11/2018 तहसील आदेश	9	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			
			दि. 15.11.18 एंव न्यायालय राजस्व	12	0.0800	बंजड़	0.0800		2	0.16			
			मण्डल राज.अजमेर के आदेश दि. 31.10.18	13	0.0100	बंजड़	0.0100		2	0.02			
			से ख.न. 3,4,5,6 पर यथास्थिति	14	0.0200	बंजड़	0.0200		2	0.04			
			बनाये रखने के आदेश हुऐ।	15	0.3100	बंजड़	0.3100		2	0.62			
			(नामा.यूनिक सं.: 2601-14960)	16	0.0900	बंजड़	0.0900		2	0.18			
				23	0.3900	चरागाह	0.3900						
				23/1	0.6000	बंजड़	0.6000		2	1.20			
				24	0.0900	बंजड़	0.0900		2	0.18			
				27	0.0800	बंजड़	0.0800		2	0.16			
				28	0.1000	बंजड़	0.1000		2	0.20			
				28/1	0.6900	चरागाह	0.6900						
				29	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
				31	0.0300	चरागाह	0.0300						
				32	0.0300	चरागाह	0.0300						
				33	0.1000	बंजड़	0.1000		2	0.20			
				34	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
				35	0.0400	बंजड़	0.0400		2	0.08			
				36	0.0300	बंजड़	0.0300		2	0.06			

70 (मजदूर)

88

कार्यालय, नगर विकास न्यास कोटा

81

क्रमांक : एफ6/विधि/2019/3558-3559 दिनांक : 24/06/2019

NEW ONLY

निमित्त :–

1. तहसीलदार
(प्रभारी अधिकारी)
नगर विकास न्यास कोटा

2. अधिशाषी अभियंता – तृतीय
(अति0 प्रभारी अधिकारी)

विषय :– प्रकरण सं0 274/12 श्री गिरधरगोपाल झाब बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

AEN III

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, उक्त प्रकरण में आप को दिनांक 12.02.2019 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण में आप द्वारा अब तक न्यास अभिभाषक से रेकार्ड के साथ सम्पर्क नही किये जाने से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही किया जा सका है। न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.10.2018 को स्थगन आदेश पारित किया है जो आदिनांक तक प्रभावी है।

25/6

प्रकरण खसरा नं0 3 से 6 रकबा 1.80 है0 ग्राम हनुवंतखेडा में स्थित न्यास भूमि से सम्बंधित है जिसमें न्यास योजना प्रस्तावित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बंधित वांछित दस्तावेज एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ न्यास अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करवाकर पारित स्थगन आदेश को वेकेट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे एवं की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

सचिव
नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : एफ6/विधि/2019/ दिनांक : /06/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री योगेन्द्र सिंह, न्यास अधिवक्ता, न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर।

सचिव
नगर विकास न्यास कोटा

Shot on OnePlus
Powered by Dual Camera

80

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

: एफ6 विधि / 2019 /

दिनांक :

–:: आदेश ::–

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील / निगरानी 274 / 12 श्री गिरधर ... बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा में न्यास की ओर से तहसीलदार, नगर विकास न्यास कोटा को प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियंता – तृतीय, नगर विकास न्यास कोटा को अति0 प्रभारी अधिकारी एवं न्यास अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत को पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है।

निगरानी / अपील खसरा नं0 3 से 6 ग्राम हनुवंतखेडा में स्थित 1.80 है0 भूमि से सम्बंधित है।

XEN II
Point No 2
13/2/19

sd
सचिव
नगर विकास न्यास कोटा

दिनांक : 12/2/2019

क्रमांक : एफ6 / विधि / 2019 / 2358-2360

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार, प्रभारी अधिकारी, नगर विकास न्यास कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपील / निगरानी से सम्बंधित वांछित रेकार्ड के साथ न्यास अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील / निगरानी में कार्यवाही सुनिश्चित करावे एवं की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

अधिशाषी अभियंता – तृतीय, अति0 प्रभारी अधिकारी, नगर विकास न्यास कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपील / निगरानी में निर्माण कार्य से सम्बंधित वांछित रेकार्ड प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करावे एवं उन्हे सहयोग प्रदान कर कार्यवाही सुनिश्चित एवं की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, न्यास अधिवक्ता, राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर से अपील / निगरानी की प्रति प्राप्त कर भिजवावे एवं अपील / निगरानी में कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

सचिव
नगर विकास न्यास कोटा

Shot on OnePlus
Powered by Dual Camera